



प्रपत्र-5

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केस कोर्ट) श्रीमत् राघवपुरिया

पीठासीन अधिकारी - राहुल सेनी R.A.S.

साक्षित्री बनाम राघवराज सरकार

आदेश क्रमांक नाम दुख्खती U/S 88 RTA

दुख्खती नम्बर - 98/2021


निर्णय दिनांक - 18-11-2021

वादी की ओर से स्वयं को व प्रतिवादी की ओर से श्री राहुल सेनी R.A.S.
की उपस्थिति में इस बात में आज तारीख 18-11-21 को (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, चूरु के द्वारा अतिरिक्त विपत्तार के लिए पत्र होने पर आदेश किया जाता है और लिखी दी जाती है कि -

दावावादी स्वीकार किया वाकर कृषि मृत्ति खाता सं. 223 ख.क्र. 573/24।
येही मृत्त राघवपुरिया में अंकित खातेदार का नाम सन्तोष के स्वामन पर
साक्षित्री अंकित करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरु
अतापुसार राघव रािकोड में अग्रज दायाद करने के निर्देश दिये
जाते हैं।

खर्चा पत्र मजदूरी के लिए न. पं. 18-11-2021

आज के आदेश के लिए 18-11-2021 को जारी किया गया है।


राहुल सेनी
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. खर्चा व दिनांक		फ्लौजर की कीमत	
4. अतिरिक्त विपत्तार की कीमत		साक्षियों के लिए भिन्न-भिन्न खर्च	
5. साक्षियों के लिए भिन्न-भिन्न खर्च		आदेशिका की सामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की फीस			



ना. 1311
22-11-2021